


श्री अज्ञात

राजस्थान जिला अदालत एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

आवृत्त न्यायनियमों के अन्तर्गत जारी

संख्या सं. 102/2022

दिनांक आवृत्त या कार्यवाही	आज्ञा का विवरण एवं	विशेष ध्यान
12.08.2022	<p>राजस्थानी आर्य लोक अदालत में भेजा हुआ। राजस्थानी के मजिस्ट्रेट उपस्थित हैं। राजस्थानी के मजिस्ट्रेट ने अज्ञात को भेट भेज दिया है। अज्ञात राजस्थानी मजिस्ट्रेट द्वारा अज्ञात को भेट भेज करके जाने के बाद 14 दिनों के अन्दर के अन्दर ही उसे जेल से निकाल कर छोड़ा गया है। राजस्थानी मजिस्ट्रेट के आदेश हैं।</p>	<p>Not found</p>


 जिला मजिस्ट्रेट
 (अज्ञात) जयपुर